	1	I
to be recorded in writing, in the		
case of candidates belonging to		
Scheduled Castes or Scheduled		
Tribes, if at any stage of selection,		
the Staff Selection Commission or		
Competent Authority is of the		
opinion that sufficient number of		
candidates from these		
communities possessing the		
requisite experience are not likely		
to be available to fill up the		
vacancies reserved for them.		

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare — Chairman 2. Director, Central Institute of Horticulture, Nagaland or Deputy Commissioner (Horticulture), Department of Agriculture and Farmers' Welfare — Member 3. Director, Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, Kerala or Director, Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Cochin, Kerala — Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

 $[F.\ No.\ 43\text{-}09/2020\text{-}MIDH,\ Tech\text{-}I\ (E\text{-}90071)]$

DINESH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय विभाग)

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल/डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल/लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल/कलावती सरन शिक्षा और अनुसंधान, पोंडिचेरी (परिचर्या सिस्टर और स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 1997, जहां तक उनका संबंध परिचर्या सिस्टर के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग

मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पलताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ परिचर्या अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ परिचर्या अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता**.- वह व्यक्ति,-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	सीधी भर्ती किए
			स्तर	या अचयन	जाने वाले व्यक्तियों
				पद	के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ परिचर्या	183* (2022)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद	लागू नहीं होता
अधिकारी	*कार्यभार के आधार पर	सेवा, समूह 'ख',	स्तर-8 (47600-		
	परिवर्तन किया जा	अराजपत्रित,	151100 रुपये)		
	सकता है	अननुसचिवीय			

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 प्रतिशत प्रोन्निति द्वारा	प्रोप्तिः लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में कार्यरत परिचर्या अधिकारी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7(44900-142400 रुपये) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग/मंत्रालय द्वारा निर्धारित संगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पणः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल	संघ लोक सेवा आयोग से
कर बनेगी:	परामर्श आवश्यक नहीं है ।
(i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज	
और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल,	
नई दिल्ली - अध्यक्ष	

मुख्य परिचर्या अधिकारी या परिचर्या अधीक्षक,		
श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	- सदस्य	
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा शिक्षा		
अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक प्रशासन	- सदस्य	
उपनिदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और		
श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	- सदस्य ।	
-		
	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक प्रशासन उपनिदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक प्रशासन - सदस्य उपनिदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और

[फा सं. ए.11018/19/2019-एमएच II] गणेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Directorate General of Health Services)

New Delhi, the 25th April, 2022

- **G.S.R.** 65.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjung Hospital/ Dr. Ram Manohar Lohia Hospital/ Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital /Kalawati Saran Education and Research, Pondicherry (Nursing Sister and Staff Nurse) Recruitment Rules ,1997 in so far as it relates to the post of Nursing Sister, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Nursing Officer in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Senior Nursing Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of post, classification and level in pay-matrix.** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 2. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post
				or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Nursing Officer.	183* (2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.		Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	100 per cent by promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'B' Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of:-	Consultation with UPSC is not
Nursing Officer working in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital with two years of regular service in level-7 in the pay matrix (44900-142400) and have successfully completed mandatory training of two to four weeks in the relevant field to be prescribed by the Directorate General of Health Services/Ministry of Health and Family Welfare.	Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi Chief Nursing Officer or Nursing Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Member	Necessary.
Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by	 3. Deputy Director Administration, in charge of Medical Education Section of Directorate General of Health Services -Member 4. Deputy Director of Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New DelhiMember. 	

more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

[F. No. A.11018/19/2019-MH.II] GANESH KUMAR, Under Secy.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2022

सा.का.िन. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन प्रभाग आशुलिपिक श्रेणी I, श्रेणी II और श्रेणी III भर्ती नियम, 2006, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन प्रभाग में आशुलिपिक श्रेणी-II (उन्नत आशुलिपिक श्रेणी-3 और आशुलिपिक श्रेणी-2 के रूप में पुनः अभिहित) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रकाशन प्रभाग, आशुलिपिक श्रेणी-॥ (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/ पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता** वह व्यक्ति--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या, विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।